

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
चंडीगढ़ पीठ, चंडीगढ़ के समक्ष

कंपनी याचिका सीपी (सीए) सं. 26/चंडी./हरि./2020
से साथ संबंधित

कंपनी आवेदन सीए (सीए) सं 16/चंडी./हरि./2020

कंपनी (समझौते, ठहराव और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 और अन्य लागू प्रावधानों के मामले में
और

निम्नलिखित के समामेलन की योजना के मामले में:

रिचमंड पार्क प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉपिंग माल, फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा में स्थित है (सीआईएन: U74920HR1999PLC034194) (ई-मेल आईडी: sahoo-debaraj@dlf.in)

.....याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी
और

डीएलएफ एम्पोरियो लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय शॉपिंग माल, फेस-1, डीएलएफ सिटी, गुरुग्राम-122002, हरियाणा में स्थित है (सीआईएन: U74920HR1999PLC034168) (ई-मेल आईडी: dua-manoj@dlf.in)

.....याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरिती कंपनी

याचिका सुनवाई की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 230-232 के अधीन रिचमंड पार्क प्रोपर्टी मैनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड (याचिकाकर्ता सं. 1/अंतरणकर्ता कंपनी) और डीएलएफ एम्पोरियो लिमिटेड (याचिकाकर्ता सं. 2/अंतरिती कंपनी), ("संयुक्त रूप से "याचिकाकर्ता कंपनियां") के तौर पर संदर्भित, और उनके शेरधारकों के मध्य समामेलन की योजना की स्वीकृति के लिए एक आदेश प्राप्त करने हेतु याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा 21 अक्टूबर 2020 को एक याचिका प्रस्तुत की गई थी और उक्त याचिका माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, चंडीगढ़ पीठ के समक्ष 19 अप्रैल, 2021 को सुनवाई के लिए निर्धारित की गई है।

उक्त याचिका का समर्थन अथवा विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को, अपने इरादे की सूचना, उसके द्वारा अथवा उसके अधिवक्ता के द्वारा हस्ताक्षरित, साथ में उसका नाम और पता लिखकर निम्नलिखित वर्णित पते पर याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता को भेजनी चाहिए जो कि याचिकाकर्ता कंपनियों के अधिवक्ता के पास याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से कम से कम दो दिन पहले पहुंच जानी चाहिए। जहां कहीं, वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार अथवा अपने शपथपत्र की एक प्रति ऐसी सूचना के साथ प्रेषित की जाएगी। याचिका की प्रति अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी अपेक्षा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए निर्धारित प्रभारों का भुगतान करने पर प्रदान की जाएगी।

हस्ता/-
के. वी. सिंघल
पीएच-5156/2019
एडवोकेटस
छिब्र एंड कंपनी